राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(535) परि/नियम/मु./2014/29668 जयपुर, दिनांकः 02.11.2015

समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।

आदेश

विषयः— अनाधिकृत बस बॉडी विर्निमाताओं द्वारा बस बॉडी कोड तथा टाईप अप्रुवल के बिना 22 ए पार्ट—II प्रपत्र जारी करना एवं अन्य अनियमताओं के आधार पर बसों के फर्जी पंजीयन के संबंध में।

गत् दिनों जिला परिवहन कार्यालय झुंझुनू, गंगानगर एवं बांसवाड़ा में चैसिस पर बिना बस बॉडी बने अथवा फर्जी 22 ए पार्ट—II प्रमाण पत्र के आधार पर बसों का पंजीयन एवं फिटनैस जारी करने की शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच, मुख्यालय स्तर पर गठित तीन जांच दलों द्वारा करवाये जाने पर प्रथग दृष्ट्या शिकायतों की पुष्टि हुई। इन परिवहन कार्यालयों में कूट—रचित दस्तावेज एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर वाहनों का पंजीयन कराया जाना प्रमाणित हुआ है। उक्त जांच के दौरान एक बड़ा तथ्य यह भी उजागर हुआ कि राज्य में बड़ी संख्या में अनाधिकृत बस बॉड़ी फेब्रीकेटर वाहन स्वामियों को भ्रमित करते हुए एवं बस बॉडी कोड की अपेक्षा के विपरित बस बॉडी का विनिर्माण कर रहे है।

इसी प्रकार की घटना/स्थिति राज्य के अन्य कार्यालयों में भी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस संबंध में निर्देशानुसार आदेशित किया जाता है किः—

1. दिनांक 01.07.2015 से अब तक पंजीकृत हुई 14 एंव इससे अधिक बैठक क्षमता की बसो का भौतिक सत्यापन करें एंव बिना बस बॉडी बने पंजीयन पाये जाने पर इन सभी वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र व बॉडी निर्माताओं के निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा बस बॉडी निर्माता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई जावें। इन सभी वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बॉडी फेबरीकेटर के ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त किये जावे एवं वाहन स्वामी तथा बॉडी फेबरीकेटर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जावे।
2. ऐसे बॉडी फेबरीकेटर्स जो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट तथा ऐसे बस बॉडी बिल्डर्स जो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट एवं एक्रेडिशन सर्टिफिकेट अथवा निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए संचालित हो रहे है, उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।
3. बस चैसिस पर बिना बस बॉडी बने एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगायी जाने का प्रमाण पत्र जारी किया जाना पाया जाता है तो इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के अतिरिक्त प्राथमिकी भी दर्ज की जावे।
4. बसों के पंजीयन से पूर्व वाहन की तकनीकी जांच एवं अन्य परीक्षण पर निरीक्षक के अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी द्वारा भी प्रमाणीकरण किया जावे।

5. उपरोक्त परीक्षण के पश्चात् बसों के पंजीयन में की गई अनियमताओं के लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों की पहचान कर उनके द्वारा की गयी अनियमता से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावे, ताकि उनके विरूद्व सम्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

6. कूट–रचित दस्तावेज तथा मिथ्या एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर पंजीयन प्राप्त करने वाले वाहन स्वामियों को ब्लैक लिस्ट किया जाकर इनकी सूचना मुख्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर हद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावे।

(मुकुल राज)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांकः एफ 7(535) परि/नियम/मु./2014/29669–674. जयपुर, दिनांकः 02.11.2015

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)